

[2021] 7 एस. सी. आर. 565

अली अहमद

बनाम्

बिहार राज्य और एक अन्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1374)

12 नवंबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 389-अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; जमानत पर आरोपी की रिहाई-दूसरे प्रतिवादी-आरोपी भा.दं.सं की धारा 302 के तहत निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-अपीललंबित होने पर, उच्च न्यायालय ने धारा 389 के तहत दायर आवेदन को मंजूरी दे दी। परिवादी द्वारा अपील-आयोजित:धारा 389 के लिए पहले परंतुक की शुरुआत के साथ। कानून प्रदाता ने गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को रिहा करने के मामले में पालन की जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है जैसा कि इसमें संकेत दिया गया है-प्रत्येक कानून का पालन करने का इरादा है-विवादित आदेशों में, पहले परंतुक के आदेश का पालन नहीं किया गया है-दोषसिद्धि के बाद जमानत का अनुदान स्पष्ट रूप से धारा 439 के तहत एक विचाराधीन कैदी को जमानत देने से अलग आधार पर है। -दूसरे प्रत्यर्थी के लिए तर्क कि धारा 389 के दूसरे परंतुक का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा परंतुक जिसके बारे में बोलता है वह यह है कि जब किसी व्यक्ति को धारा 389 के तहत जमानत पर रिहा किया जाता है। यह लोक अभियोजक के लिए जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए खुला है-जमानत रद्द करने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से जमानत देने के बाद अपीलार्थी (जमानत के

लिए आवेदक) के आचरण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन के मामलों से स्पष्टतया निपटना है-पहले परंतुक के आदेश का पालन अपने अधिकार में किया जाना चाहिए-इसलिए, इन मामलों में, विवादित आदेश कानून की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं-उच्च न्यायालय दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों को लेने और धारा 389 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए।

अतुल त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 9 एससीसी 177:[2014] 14 एससीआर 1188-पर निर्भर था।

कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर 1977 एस. सी. 2147:[1978] 1 एससीआर 385-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 14 एससीआर 1188	को संदर्भित किया	कंडिका 5
-----------------------	------------------	----------

[1978] 1 एससीआर 385	को संदर्भित किया	कंडिका 5
---------------------	------------------	----------

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की आपराधिक अपील सं. 1374

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 599 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के दिनांकित 08.01.2020 के निर्णय और आदेश से।

साथ

2021 की अपराधिक अपील संख्याएँ 1375 एवं 1376

एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, गौतम झा, पंकज कुमार, सुश्री श्वेता झा, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

मनीष कुमार, सुश्री अनीशा माथुर, समीर अली खान, गौरव अग्रवाल उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

आदेश

के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति

(1) अनुमति दी गई।

(2) इन दोनों अपीलों में, अपीलार्थी शिकायतकर्ता हैं। वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति जताता है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.)

(3) की धारा 389 के तहत होने का तात्पर्य है। आक्षेपित आदेश द्वारा दोनों अपीलों में दूसरा प्रतिवादी जमानत पर रिहा किया गया है। दोनों अपीलों में दूसरे प्रतिवादी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.द.सं.) की धारा 307 सहित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यह उक्त दोषसिद्धि को चुनौती दे रहा है कि आपराधिक अपील वर्ष 2019 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के समक्ष दायर की गई थी। दं.प्र.सं. की धारा 389 के तहत दायर आवेदनों में विवादित आदेश पारित किए गए हैं।

(4) हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री एम. शोएब आलम और दोनों मामलों में दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल और राज्य के विद्वान वकील श्री मनीष कुमार को सुना है।

(5) अपीलार्थी का विद्वान वकील धारा 389 दं.प्र.सं. की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। वह बताएगा कि यह पहले परंतुक का अधिदेश है कि यदि कोई आवेदन लिखित रूप

में अपनी आपतियों को बताने के लिए भेजा जाता है तो लोक अभियोजक को वाद में अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, उन्होंने अतुल त्रिपाठिव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 9 एस. सी. सी. 177 मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्धारित किया है:

14. अपील की प्रति की तामीला और अपीलार्थी द्वारा लोक अभियोजक पर जमानत के लिए आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के पहले परंतुक की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करेगा। अपीलीय अदालत लोक अभियोजक को सुने बिना भी जमानत देने से इनकार कर सकती है। हालांकि, यदि अपीलीय अदालत दोषी को जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो लोक अभियोजक को लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर दिया जाएगा कि अपीलार्थी को जमानत पर क्यों नहीं रिहा किया जाए। इस तरह का कड़ा प्रावधान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों से अवगत कराया जाए ताकि अदालत इस बात पर विचार कर सके कि क्या यह अपराध करने के तरीके, अपराध की गंभीरता, उम्र, दोषी की आपराधिक इतिहास, न्याय-वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास पर प्रभाव आदि को ध्यान में रखते हुए रिहाई के लिए एक उचित मामला है या नहीं। लोक अभियोजक को ऐसा अवसर दिए जाने के बावजूद, यदि लिखित रूप में कोई कारण नहीं दिखाया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय दर्ज करेगा कि राज्य ने लिखित रूप में कोई आपति दर्ज नहीं की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना है कि मिलीभगत का कोई आरोप न हो और यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर अपराधों के संबंध में जमानत देने के लिए प्रासंगिक विचारों के संबंध में राज्य द्वारा अदालत को सत्य और सही तथ्यों के साथ उचित रूप से सहायता प्रदान की जाए।

15. कानूनी स्थिति को संक्षेप में:

15.1. अपीलीय न्यायालय, यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा पाए दोषी की रिहाई पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो पहले लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर देगा।

15.2. ऐसा अवसर दिए जाने पर, राज्य को अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, लिखित रूप में दायर करनी होती हैं।

15.3. यदि लोक अभियोजक लिखित रूप में आपत्तियाँ दायर नहीं करता है, तो अपीलीय न्यायालय अपने आदेश में निर्दिष्ट करेगा कि अदालत द्वारा दिए गए अवसर के बावजूद कोई आपत्ति दायर नहीं की गई थी।

15.4. अदालत रिहाई का आदेश पारित करने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों पर विवेकपूर्ण रूप से विचार करेगी, चाहे वे आपत्तियों में निर्दिष्ट हों या नहीं, जैसे अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, उम्र, दोषी का आपराधिक इतिहास, अदालत में जनता के विश्वास पर प्रभाव आदि।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह सच हो सकता है कि आदेशों से पता चलता है कि लोक अभियोजक की सुनवाई हुई थी, लेकिन पहले परंतुक में विचार की गई प्रक्रिया और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में संदर्भित किया गया है, का पालन नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि धारा 439 दं.प्र.सं. की के तहत एक आवेदन एक मामले में दोषसिद्धि के बाद सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन से अलग आधार पर खड़ा है जिसमें भा.दं.सं. की धारा 302 शामिल है जो वह

अपराध है जिससे हम इन मामलों में संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमारा ध्यान उस सिद्धांत की ओर आकर्षित किया जो इस न्यायालय द्वारा कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2147 में दिए गए निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। वह इंगित करेंगे कि बाद के निर्णयों में भी इस सिद्धांत का पालन किया गया है। वह यह इंगित करेंगे कि आदेश किसी ऐसे मामले में जमानत देने को उचित ठहराने के लिए किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है जहां निचली अदालत ने सबूत पर विचार करने के बाद दूसरे प्रतिवादी को धारा 302 के तहत अपराधों के दोनों मामलों में दोषी ठहराया है।

(6) इसके विपरीत, दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल इंगित करेंगे कि लोक अभियोजक को धारा 389 में दूसरे परंतुक का विरोध करने का अधिकार है जो उन्होंने नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वह आदेश का विरोध करने के लिए अपीलार्थी के विन्दुपथ पर सवाल उठाता है, लेकिन वह प्रस्तुत करेगा कि तथ्यों पर, हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। वह आगे बताते हैं कि विवादित आदेशों के अनुसार, दोनों मामलों में दूसरा प्रतिवादी लगभग दो साल से जमानत पर बाहर है। अपीलार्थी अंतिम तर्क पर दूसरे प्रत्यर्थी के साथ मुद्दे में शामिल हो जाता है जो यह है कि दूसरे प्रत्यर्थी यह इंगित करते हुए जमानत पर बाहर हो गए हैं कि अपीलार्थी ने मामले का यथासंभव शीघ्रता से पालन किया है। दूसरे उत्तरदाता द्वारा पत्र प्रचरित किया गया था। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया और मामले की सुनवाई आज ही की जा सकती और यह अपीलार्थी की गलती नहीं है। यह आगे इंगित किया गया कि अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और यह एक ऐसा मामला है जहां विवादित आदेश कानूनी दोष से पीड़ित होने के अलावा कोई तर्क नहीं दिखाते हैं जिसे संदर्भित किया गया है अर्थात्, पहले परंतुक में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन नहीं करना।

(7) हम राज्य के विद्वान वकील को जैसा कि इससे पहले उल्लिखित है, को भी सुन चुके हैं।

(8) यह वास्तव में सच है कि धारा 389 के पहले परंतुक की शुरुआत के साथ कानून देने वाले ने गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को रिहा करने के मामले में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है जैसा कि उसके तहत संकेत दिया गया है। प्रत्येक कानून का पालन करने का इरादा है। इस तथ्य पर कि इसका पालन करने का इरादा है, इस न्यायालय द्वारा अतुल त्रिपाठी (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में ध्यान दिया गया है। इसके बावजूद, विवादित आदेशों में, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले परंतुक के आदेश का पालन नहीं किया गया है। दोषसिद्धि के बाद जमानत देना स्पष्ट रूप से धारा 439 के तहत एक विचाराधीन कैदी को जमानत देने से अलग आधार पर है। दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि धारा 389 में दूसरे परंतुक का सहारा लिया जा सकता है, गलत है। दूसरा परंतुक यह बताता है कि जब किसी व्यक्ति को धारा 389 के तहत जमानत पर रिहा किया जाता है, तो लोक अभियोजक जमानत रद्द करने की मांग करने के वास्ते खुला है। जाहिरा तौर पर जमानत रद्द करने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से जमानत देने के बाद अपीलार्थी (जमानत के लिए आवेदक) के आचरण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन के मामलों से निपटना है। पहले परंतुक के आदेश का पालन अपने अधिकार में किया जाना चाहिए।

(9) इसलिए हमारा विचार है कि इन मामलों में, विवादित आदेश कानून की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्च न्यायालय को दूसरे उत्तरदाता द्वारा दायर आवेदनों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम देखते हैं कि दोनों मामलों में दूसरा प्रतिवादी काफी समय से विवादित आदेशों के आधार पर जमानत पर बाहर है। हालाँकि, हम इस तथ्य से पूरी तरह से विस्मरणशील नहीं हो सकते हैं कि आपराधिक अपीलों को उस अभियान के साथ नहीं लिया जाता है

जिसके साथ उन्हें कार्यक्रम विस्फोट के संबंध में लिया जाना है जिससे अदालतें त्रस्त हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष के आधार पर निलंबन/जमानत के आवेदनों पर विचार किया जाता है तो इन पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है।

(10) इसलिए, हम अपीलों को अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और उच्च न्यायालय से दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने और धारा 389 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध करते हैं। अपीलें इन अपीलों को विवादित आदेशों को अलग कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय प्रथम परंतुक सहित धारा 389 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए आवेदनों पर विचार करेगा। इसके अलावा, हम निर्देश देंगे कि दोनों मामलों में दूसरे प्रतिवादी को आवेदनों पर विचार के दौरान आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उनका भाग्य आवेदनों पर विचार करने पर निर्भर करेगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा है। पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह आवेदनों पर विचार करे और इस आदेश की एक प्रति उसके समक्ष पेश किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उनका निपटारा करे।

2021 की अपराधिक अपील सं. 1376

2021 (II-A) की विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) सं. 2665 से उद्भूत

(11) अनुमति दी गई।

(12) अपीलार्थी भा. दं. सं. की धारा 302 (सम्मिलित) के तहत दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने धारा 389 के तहत आवेदन दायर किया। विवादित आदेश इस प्रकार है:

“विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या (ओं) 2020 का 9485, के निपटारे के बाद इस अपील को उसी शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करें। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा 2019 के Cr.Appeal (DB) संख्या 599 में पारित दिनांकित 08.01.2020 के आदेश के खिलाफ उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत सह-दोषी बृज मोहन पांडे की जमानत के लिए प्रार्थना की अनुमति दी गई थी।” -----

(13) आज हमने उस मामले का निपटारा कर दिया है जिसका उसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, हमें यह संकेत देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य के आधार पर मामले को लंबित नहीं रखना चाहिए था कि एक सह-दोषी द्वारा निलंबन के लिए दायर आवेदन के संबंध में एसएलपी दायर की गई है। सजा के निलंबन और अपीलार्थी की जमानत के आवेदन पर उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

(14) तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम पहले ही अन्य मामलों का निपटारा कर चुके हैं, हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थी द्वारा सजा के निलंबन और जमानत के लिए धारा 389 के तहत दायर आवेदन पर अपने अधिकार में विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय से अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर जल्द से जल्द और अधिमानतः, इस निर्णय की प्रति पेश करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करने का अनुरोध करके अपील का निपटारा करते हैं।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।